

[25/3/2024]

प्रश्न सं. [ क. 348 ]



म.प्र.शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्र. 5483 /MGNREGS-MP/NR-3/2018

भोपाल, दिनांक 25/07/2018

प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी नरेगा

जिला - समस्त

विषय - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश - नरेगा से मजदूरी भुगतान बाबत।


- संदर्भ-
1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन का पत्र क्र. 9019/MGNREGS-MP/NR-3/2015 भोपाल दिनांक 23.09.2015
  2. विकास आयुक्त कार्यालय का पत्र क्र.14631/वि-7/पीएमएवाय-जी/16, दिनांक 06.12.2016
  3. विकास आयुक्त कार्यालय का पत्र क्र.12967/वि-7/पीएमएवाय-जी/2017, दिनांक 25.10.2017

--00--

संदर्भित परिपत्रों को अधिक्रमित करते हुये पीएमएवाय, केन्द्र सरकार की इंदिरा आवास योजना में लाभांवित किये जाने वाले नरेगा के पात्र वर्ग के जॉबकार्डधारी परिवारों को नरेगा के तहत मजदूरी भुगतान हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :-

क्र.	किश्त भुगतान	निर्माण स्तर	नान आई.ए.पी.41 जिलों के लिये अनुमत मानव दिवस	आई.ए.पी. 10 जिलों (बालाघाट, मण्डला, डिंडोरी, शिवनी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, छिंदवाड़ा) के लिये अनुमत मानव दिवस
1	प्रथम किश्त के भुगतान उपरांत	नीव स्तर तक	30	30
2	द्वितीय किश्त के भुगतान उपरांत	दरवाजे/खिड़की स्तर तक	30	35
3	तृतीय किश्त के भुगतान उपरांत	छतर स्तर तक	30	30
योग			90	95

मस्टररोल जारी किये जाने के उपरांत हितग्राही द्वारा कार्य करने के सत्यापन के आधार पर ही मजदूरी भुगतान देय होगा।



(इकबाल सिंह बैंस)

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 25/07/2018

पृ.क्र./ 5484/MGNREGS-MP/NR-3/2018

प्रतिलिपि :-

1. संमस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, ग्रामीण रोजगार, विकास आयुक्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. संयुक्त आयुक्त समन्वय, विकास आयुक्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, जिला समस्त म.प्र.।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं समस्त सहायक यंत्री जनपद पंचायत म.प्र.।

1. विशेष सहायक मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. माननीय अध्यक्ष, समस्त जिला/जनपद पंचायत म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त सरपंच, ग्राम पंचायत म.प्र. की ओर सूचनार्थ।



(जी.व्ही. रश्मि)

आयुक्त,

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद